

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक-27.5.2016

संख्या- 1/श्रम वि०स्था० (1) 10-24/2015 श्र०सं० 25 / विभागीय अधिसूचना सं० 178, दिनांक 01.12.15 द्वारा श्रीमती सुजाता सिंह, श्रम अधीक्षक, (सामान्य), नवादा को बिहार सेवा संहिता के नियम 220A में निहित प्रावधान के तहत दिनांक 01.12.2015 से 31.5.2015 तक कुल 183 दिनों के शिशु देखभाल अवकाश की स्वीकृति दी गयी थी।

2. एतद्विषयक प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में पुनः श्रीमती सुजाता सिंह को दिनांक 01.6.16 से 30.6.16 तक कुल 30 दिनों के शिशु देखभाल अवकाश की स्वीकृति दी जाती है।

3. श्रीमती सुजाता सिंह के अवकाश अवधि में श्रीमती जागृति प्रभात, श्रम अधीक्षक, (कृ०श्र०), नवादा अपने कार्यों एवं दायित्वों के अलावे श्रम अधीक्षक, (सामान्य), नवादा के अतिरिक्त प्रभार में पूर्ववत् रहेंगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(देव नन्दन यादव)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/श्रम वि०स्था० (1) 10-24/2015 श्र०सं० 25 / पटना, दिनांक-27.5.2016

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ / महालेखाकार, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/श्रमायुक्त, बिहार, पटना/उप श्रमायुक्त, मगध प्रमण्डल, गया/जिला पदाधिकारी, नवादा/सम्बन्धित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।